Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to provide water to Bharatpur Parliamentary Constituency, Rajasthan for drinking and irrigation purposes as per Yamuna pact -laid.

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): नियम 377 के माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहती हूं कि मेरा भरतपुर जिला एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है जहां पर बरसात कम मात्रा में होती है परिणामस्वरूप किसानों की कृषि भूमि का जरूरत के हिसाब से सिंचाई पानी नहीं मिल पाता है और लोगों को गर्मियों के मौसम में पेयजल प्राप्त करने में दिक्कत होती है । मेरे संसदीय क्षेत्र में आवश्यक पानी की आपूर्ति हेतु 25 वर्ष पूर्व 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था इससे राजस्थान 41. 86 प्रतिशत पानी राजस्थान को और भरतपुर को 15 प्रतिशत औसत 1281 क्यूसक पानी मिलना था, जो नहीं मिल पा रहा है । गुड़गांव केनाल का 70 प्रतिशत का हिस्सा हरियाणा से होकर जाता है और उसके बाद मेरे ससदीय क्षेत्र भरतपुर में प्रवेश करता है। सदन को बताते हुए खेद है कि मेरे संसदीय क्षेत्र को हमेशा कम पानी मिलता है । दूसरी ओर सात साल पूर्व 2012 में केन्द्रीय जल आयोग को गुड़गांव कैनाल का दूसरा फेज का प्रस्ताव भेजा था "जो सात साल से अभी तक लम्बित है इस दूसरे फेज में मेरे क्षेत्र के सिंचाई अभाव एवं सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र डींग, कुम्हेर एवं भरतपुर के 207 गांव को लाभ पहुंचाना था, अब तक दूसरे फेज की स्वीकृति नहीं मिलने से उक्त क्षेत्रों का लाभ नहीं मिला था। दूसरे फेज की स्वीकति नहीं मिलने से उक्त क्षेत्रों को सिंचाई का लाभ नहीं मिला था। दूसरे फेज पर हरियाणा सरकार ने आपत्ति लगाई है। केन्द्र स्तर पर हरियाणा से आपत्ति को दूर करके गुड़गांव कैनाल फेज को जल्द से जल्द स्वीकृति दी जाए साथ ही साथ यमुना जल समझौते के मुताबिक जो लाभ भरतपुर जिले को मिलना चाहिए उसको दिलाने के लिए समझौते की समीक्षा केन्द्र स्तर से करवाकर भरतपुर जिले को न्याय दिलवाये जाए। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है यमुना जल समझौता के करारनामे के अनुसार लाभ मेरे संसदीय

क्षेत्र को दिलवाया जाए और गुड़गांव केनाल द्वितीय को बिना किसी देरी के मंजूर किया जाए ।